संस्था के अध्यक्ष ने कमिश्नर और प्रमंडल के डीएम के साथ की बैठक, दिए निर्देश

रेरा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

भास्कर न्यूज़ | मुंगेर

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा की बिहार इकाई के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी व म्युनिसिपल प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रेरा अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने संवेदीकरण-सह-अभिमुखी करण कार्यशाला का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने अंचलाधिकारी से नियमित रूप से रिपोर्ट लें, ताकि रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा में जिला प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मुंगेर के कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने प्राधिकरण को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रेरा अधिनियम से संबंधित लोक शिकायत मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कदम उठाये जाएंगे। प्रमंडल के सभी जिले में एक वरीय पदाधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। दूसरी ओर जमुई जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला, खगड़िया के प्रभारी जिलाधिकारी अभिषेक पलासीया, शेखपुरा जिलाधिकारी आरिफ अहसन व लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने भी रेरा अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि उनके स्तर से रेरा अधिनियम की अवहेलना करने वालों के विषय में नियमित सूचना प्रदान की जाएगी। मौके पर आयुक्त के सचिव अरविंद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी देवव्रत मिश्र, मुंगेर नगर निगम, बेगूसराय नगर निगम सहित मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय एवं जमुई के 28 नगर निकायों के पदाधिकारी मौजूद थे।

कमिश्नर व डीएम के साथ बैठक करते रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व अन्य।